



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

62-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 7, 2020 (VAISAKHA 17, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 मई, 2020

संख्या 43/जीएसटी-2.— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 120 के साथ पठित (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इस अधिसूचना में, इसके बाद, उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 168क पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोवीड-19 के प्रसार के मद्देनजर, अधिसूचित करते हैं कि —

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट या विधित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी —

(क) उपर्युक्त कथित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या अधिकरण द्वारा किसी भी नाम के ज्ञात, किसी कार्रवाई को पूरी करना या किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या ऐसी अन्य कार्रवाई, किसी भी नाम के ज्ञात; या

(ख) उपर्युक्त कथित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन, कोई अपील, जवाब या आवेदन दायर करना या कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, कथन, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड किसी भी नाम के ज्ञात को प्रस्तुत करना;

किंतु, समय का ऐसा विस्तार, उक्त अधिनियम के नीचे यथा वर्णित उपबन्धों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, —

(क) अध्याय IV;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(ग) धारा 39, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;

(घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा

(ङ) उपरोक्त खण्ड (क) से (घ) पर विनिर्दिष्ट उपबन्धों को अधीन बनाए गए नियम;

- (ii) जहां हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, 20 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल, 2020 के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।
2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th May, 2020

No. 43/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (Act 19 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under,-

- (i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30th day of June, 2020, including for the purposes of-
 - (a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or
 - (b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below -
 - (a) Chapter IV;
 - (b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
 - (c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);
 - (d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
 - (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above;
 - (ii) where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of April, 2020.
2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.